



2026:AHC-LKO:22577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 9263 वर्ष 2023

बिनोद चौधरी पी०एन०ओ० 210695687 एवं 21 अन्य

....

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सिविल

सचिवालय, लखनऊ, एवं 7 अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-18

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय को सुना ।

याचिकाकर्ताओं ने, वर्तमान याचिका के माध्यम से, दिनांक 23.12.2020 के शासनादेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। एक अन्य प्रार्थना यह भी की गई है कि प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के वेतन का निर्धारण दिनांक 26.08.1997 के शासनादेश तथा दिनांक 18.05.1983 के शासनादेश के अनुसार करें। याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की है कि प्रतिवादीगण को वेतन निर्धारण में अंतर से उत्पन्न बकाया का भुगतान करने हेतु परमादेश की रिट जारी की जाए।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका में निहित विवाद अब अनिर्णीत नहीं रहा है, क्योंकि समान स्थिति के कर्मचारियों ने पूर्व में इस न्यायालय का आश्रय लेते हुए रिट ए संख्या 10689 वर्ष 2024, सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य, सहित अन्य संबद्ध रिट याचिकाएँ दाखिल की थीं, जिनका निर्णय दिनांक 09.04.2025 के समान निर्णय एवं आदेश द्वारा किया गया। यह कहा गया कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं का प्रकरण उपर्युक्त निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित है।

श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इस तथ्य का विवाद नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का प्रकरण समान है और रिट ए संख्या 10689 वर्ष 2024 में प्रदत्त निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित है। वह इस बात से भी इनकार नहीं करते कि उक्त निर्णय अब अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि इसे विशेष अपील संख्या 1233 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 15.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 09.04.2025 के निर्णय (उपरोक्त) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि समकक्ष पीठ ने, रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, उक्त निर्णय के प्रस्तर 14 में निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं:-

"14. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक पूर्व-सैनिकों को वेतन सुरक्षा से वंचित करने का प्रश्न है, मुझे शासनादेश के क्रियान्वयन में कोई भी भेदभावपूर्ण बात नज़र नहीं आती; तथापि, यह शासनादेश केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जिनमें उम्मीदवारों का चयन इस आदेश के जारी होने के बाद किया गया हो। जिन सभी लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और जिन्हें अंततः नियुक्ति दी जानी है वे एक समरूप समूह का निर्माण करेंगे उन्हें वेतन सुरक्षा सहित ऐसे सभी लाभों का विशेषाधिकार प्राप्त होगा, और सरकारी आदेश से उनके दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

यह विवादित नहीं है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को पूर्व में ही दिनांक 09.04.2025 के निर्णय एवं आदेश के द्वारा लाभ प्रदान किया जा चुका है, जिसमें न्यायालय ने प्रस्तर 14 में यह निर्णीत किया है कि वेतन संरक्षण से वंचित करने में किसी प्रतिकूल या भेदभावपूर्ण कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। यह भी दिनांक 15.12.2025 के आदेश में अवलोकित किया गया है कि राज्य द्वारा प्रथम समूह को प्रदत्त समतुल्य वेतन संरचना के संरक्षण का लाभ द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ समूह के अभ्यर्थियों से, जो एक ही भर्ती प्रक्रिया का भाग हैं तथा एक ही चयन सूची में स्थित हैं, रोका नहीं जा सकता।

निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ताओं ने एक ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था और उन्हें एक ही चयन सूची में रखा गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता, रिट याचिका संख्या 10689 वर्ष 2024 में पारित निर्णय और आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार, समान स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों के बराबर वेतन सुरक्षा और सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाद दिनांक 09.04.2025 को रिट ए संख्या 10689 वर्ष 2024 में पारित निर्णय एवं आदेश द्वारा पूर्णतः आच्छादित है, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है तथा दिनांक 23.12.2020 का प्रश्नगत आदेश (याचिका के संलग्नक-1) एतदपश्चात् निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को वेतन संरक्षण प्रदान करें तथा उनके वेतन का निर्धारण समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों के समकक्ष दिनांक 26.08.1997 एवं 18.05.1983 के शासनादेशों के अनुसार करें, जैसा कि रिट ए संख्या 10689 वर्ष 2024 में दिनांक 09.04.2025 को पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है, साथ ही समस्त आनुषंगिक लाभ भी प्रदान करें।

उपर्युक्त कार्यवाही इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

31 मार्च, 2026

आर०सी०

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।